PART-I POL.SC.(H) ①

Ist PAPER

(13.) कानून

Q.1 कानून से आप क्या समझते हैं? कानून की प्रकृति के सम्बन्ध में प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए :—

कानून. कानून सभ्य राज्य का लक्ष्य मानव कल्याण की उचित व्यवस्था करना किन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति की आशा तभी की जा सकती है जबकि राज्य के नागरिक अपने जीवन मे ~~आवश्यक~~ कुछ सामान्य नियमों का पालन करते हैं : अतः राज्य अपने नागरिकों के जीवन संचालन हेतू नियमों का निर्माण करता है और जिनका पालन न किये जाने पर व्यक्ति दण्ड का भागी होता है राजनीति विज्ञान मे राज्य द्वारा निर्मित और लागु किए जाने वाले इन नियमों को ही कानून कहते है.

कानून आंग्ल भाषा के लॉ (Law) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। लॉ शब्द की उत्पत्ति ट्यूटॉनिक लैग (Lag) से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऐसी वस्तु जो सदा स्थिर, स्थायी और निश्चित या सभी परिस्थितियों मे समान रूप रहे! अतः शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से कानून का अर्थ है, वह जो एक रूप बना रहे। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश मे इसकी परिभाषा 'सत्ता द्वारा आरोपित आचार व्यवहार के नियम के रूप मे की गयी है'.

कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा कानून की परिभाषा इस प्रकार की गयी है.

वुडरो विल्सन के अनुसार → कानून स्थिर विचार तथा व्यवहार का वह अंश है जिसे शासन की शक्ति लागू करती है.

2

आस्टिन के अनुसार - "Law is the command of Sovereign" कानून सम्प्रभु की आज्ञा है।

पाउंड के शब्दों में - न्याय के प्रशासन में जनता और नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त या लागू किये गये नियमों को कानून कहते है।

प्रो० सालमण्ड के अनुसार - कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है। और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है।

ग्रीन के अनुसार - अधिकारों और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जा सकता है, जिसे सरकार लागू करती है।

उपर्युक्त परिभाषाओं की अपेक्षा हॉलैण्ड की परिभाषा अधिक स्पष्ट है। जिसके अनुसार आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते है। जो मनुष्य के बाहरी आचरणों से सम्बन्धित होते है, और जिन्हे एक निश्चित सत्ता लागू करती है। यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में सर्वोच्च होती है।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कानून वे नियम है जिन्हे राज्य के द्वारा निर्मित या लागू किया जाता है। और जिनका पालन न करने पर राज्य के द्वारा दण्डित किया जाता है।

कानून के तत्व → उपर्युक्त परिभाषाओं की विवेचना

के आधार पर कानून के प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं।

(1) कानून के लिए नागरिक समाज का अस्तित्व आवश्यक है क्योंकि नागरिक समाज ही एक सुव्यवस्थित संगठन है और इस संगठन के संचालन हेतु ही नियमों की आवश्यकता होती है।

(2) कानून के निर्माण तथा उनको क्रियान्वित के लिए सम्प्रभुत्वपूर्ण सत्ता का अस्तित्व आवश्यक है।

(3) कानूनों का सम्बन्ध व्यक्ति के बाहरी आचरण से होता है, उनकी आन्तरिक भावनाओं से नहीं।

(4) नागरिकों को कानून का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है और कानून का उल्लंघन करने पर वे राज्य दण्ड के भागी होते हैं।

(5) कानून ऐसे होने चाहिए जिनका पालन न केवल दण्ड के भय से वरन् सामाजिक हित की भावना से किया जाए।

(2) कानून का स्वरूप :—

कानून के वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में राजनीतिक विचारों में मतभेद है। कुछ विचारक कानून पर विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार करते हैं तो कुछ ऐसे ऐतिहासिक, दार्शनिक तुलनात्मक या समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक दृष्टि से उस

विवेचना करते है। इस सम्बन्ध में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विचारधाराओं का अध्ययन आवश्यक है।

विश्लेषणात्मक विचारधारा या कानूनी विचारधारा
(The Analytical School or the legalistic School)

कानून के विश्लेषणवादी सम्प्रदाय ने निरंकुशतावादी और आदर्शवादी दर्शन से प्रेरणा ग्रहण की है, जिसका प्रारम्भ प्लेटो से समझा जा सकता है। कानून के सम्बन्ध में इनकी धारणा बेन्थम और ऑस्टिन के विचारों पर आधारित है और इसके प्रतिपादन का कार्य हॉलैण्ड और विलोबी, आदि के द्वारा किया गया है। ये विचारक कानून को राज्य की असीम सम्प्रभुता का निश्चित और स्पष्ट आदेश मानते है जिसका पालन राज्य की शक्ति के द्वारा ही कराया जाता है। इस प्रकार यह विचारधारा कानून के स्रोत के रूप में व्यवस्थापन पर बल देती है।

आलोचना —
यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण सीधा और सरल है। किन्तु इसकी इसकी कड़ी आलोचना की गयी है। सर्वप्रथम, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण बहुत कठोर और आवश्यकता से अधिक वैधानिक है। मैकाइवर के शब्दों में, कानून आदेश नहीं वरन आदेश के बिल्कुल विपरीत है। कानून को आदेश मानने का परिणाम राज्य कार्य में आवश्यक होता है।

कानून के आदेश से इस रूप में भिन्न है कि आदेश देने वाले और प्राप्त करने वाले को एक दूसरे से पृथक करता है जबकि कानून विधायक और सामान्य नागरिक दोनों पर समान रूप से लागू होता है। आस्टिन का सम्प्रभु निरंकुश और कानून से उच्च है, लेकिन आज के प्रजातान्त्रिक राज्य में इसे सत्य नहीं कहा जा सकता है। कानून केवल एक आदेश मानना न्यायशास्त्र के लिए परिभाषा को सौन्दर्य की सीमा तक खींचना है। कानून में एक प्रकार की एकरूपता होती है। जिसके आदेश का तत्व आंखों से लगभग ही होता है।

द्वितीय :— आदेश प्रशासन से सम्बन्धित होता है, व्यवस्थापन से नहीं। कानून में एक विशेष प्रकार का स्थायित्व होता है जबकि आदेश विशेष परिस्थितियों के आधार पर जारी किए जाते हैं।

तृतीय :— विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और यह उन सारे रिवाजों को जो समाज में प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं और मान्य हैं, बिल्कुल अस्वीकार कर देता है, इन नियमों को सर्वसत्ता के आदेश से किसी प्रकार का शासन प्राप्त नहीं है। सर हेनरी मेन ने विश्लेषणवादी-व्याख्याकार की इस कमी की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। कोई भी सम्प्रभु परम्परागत नियमों की अवहेलना का

साहस नहीं कर सकता। लास्की के अनुसार, टर्की के निरंकुश सुल्तान द्वारा भी परम्परागत सामाजिक नियमों की अवहेलना का भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

चतुर्थ :— इस दृष्टिकोण में रूढ़िवादी की झलक दिखाई देती है। गैटल के कथानुसार, विश्लेषणात्मक शाखा के लेखक नियमों को प्रगतिशील न मानकर गतिहीन मान लेते हैं और वे कानून के ऐतिहासिक विकास की ओर ध्यान नहीं देते। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि विश्लेषणात्मक विचारधारा ग्रीन के समर्थन में है।

दार्शनिक विचारधारा :→ इस विचारधारा के प्रतिपादक न्यायविद् वर्तमान या अतीत के वास्तविक कानूनों की अपेक्षा कानून के आदर्श अथवा दार्शनिक रूप का अध्ययन करते हैं। उनका विशेष सम्बन्ध न्याय के विचार का एक नैतिक सिद्धान्त रूप के विकास और एक आदर्श न्याय पद्धति से है। इस पद्धति में कानून के विकास के विचार को क्रियात्मक और नैतिक तत्व के रूप में देखा जाता है। इसके पोषकों में हीगल, काण्ट और डीन पाउण्ड का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है।
जर्मनी के प्रोफेसर जोसेफ कोहलर इस विचारधारा के सबसे प्रमुख आधुनिक प्रतिपादक हैं। इस पद्धति का प्रमुख दोष यह है कि वे विचार

कानूनों से सम्बन्धित दार्शनिक विवेचनों में अधिक संलग्न रहते हैं और यथार्थ को दृष्टि में नहीं रखे।

(ख) कानून के प्रकार —

विभिन्न विद्वानों ने कानूनों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया है। कुछ विद्वान कानून-निर्मात्री सत्ता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, कुछ विद्वान निजी सार्वजनिक विशेषताओं के आधार पर तो कुछ अन्य विद्वान राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीयता के आधार पर। कानून के विविध प्रकार की अलग-अलग व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है।

(1) व्यक्तिगत कानून → ये कानून व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों को निश्चित करते हैं। उदाहरण स्वरूप सम्बन्धी कानून और जायदाद खरीदने व बेचने कानून इसी श्रेणी में आते हैं।

~~(2) सार्वजनिक कानून (Public Law) इन कानूनों के पारस्परिक सम्बन्धों को निश्चित करते हैं। उदाहरण स्वरूप सम्बन्धी कानून और जायदाद खरीदने सम्बन्धी कानून इसी श्रेणी में आते हैं।~~

(2) सार्वजनिक कानून → इन कानूनों द्वारा व्यक्ति का सरकार या राज्य के साथ सम्बन्ध निश्चित किया जाता है। उदाहरण कर लगाने चोरी, डकैती

और हत्या करने वालों को दण्ड देने के लिए जो कानून बनाये जाते है, इन्हे सूची मे शामिल किया जाता है।

(3) संवैधानिक कानून → संवैधानिक कानून उस कानून को कहते है जिसके द्वारा सरकार का ढांचा निश्चित किया जाता है और जिसके द्वारा राज्य के प्रति नागरिक के अधिकारों तथा कर्तव्यों का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरणार्थ भारत मे राष्ट्रपति का निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन है और शक्तियाँ तथा राज्यपाल की नियुक्ति से सम्बन्धित कानून संवैधानिक कानून के ही उदाहरण है।

(4) सामान्य कानून → नागरिक के दैनिक जीवन एवं आचरण को नियमित करने वाले कानूनों को सामान्य कानून कहते है। वे व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित होते या रीति रिवाजों और परम्पराओं पर आधारित होते है लचीले संविधान मे तो सामान्य कानून और संवैधानिक कानून के निर्माण की एक ही प्रक्रिया होती है। किन्तु कठोर संविधान मे संवैधानिक कानून के निर्माण परिवर्तन या संशोधन की प्रक्रिया सामान्य कानून से भिन्न तथा विशेष प्रकार की होती है।

(5) प्रशासकीय कानून :- किसी किसी देश मे साधारणतः

अधिकारियों से प्रत्येक सरकारी कर्मचारियों के लिए शासन प्रशासन कानून होते हैं। इन कानून को प्रशासनिक कानून कहते हैं। ये वे नियम हैं जो राज्य के सभी कर्मचारियों के अधिकारों के कर्तव्यों को निश्चित करते हैं। जैसे प्रशासकीय कानून का सर्वोत्तम उदाहरण है।

(8) प्रथागत कानून :- ये देश में प्रचलित रीति-रिवाजों और परम्पराओं का विकसित रूप होते हैं। और न्यायालय इन्हें मान्यता देकर कानून स्वरूप प्रदान करते हैं। इंग्लैण्ड में कानून के विकास में रीति रिवाज ने महत्वपूर्ण भाग लिया है इसलिए वहां कॉमन लॉ काफी प्रचलित है।

(9) अध्यादेश → किसी विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए अथवा किसी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यपालिका के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए जो आदेश जारी किया जाता है उसे अध्यादेश कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

(10) अन्तर्राष्ट्रीय कानून → कानून के उपर्युक्त सभी भेद राष्ट्रीय कानून के ही उदाहरण हैं किन्तु इनके अतिरिक्त भी एक और कानून होता है। विश्व के स्वतन्त्र राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्ध को नियुक्त करने वाले कानूनों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून

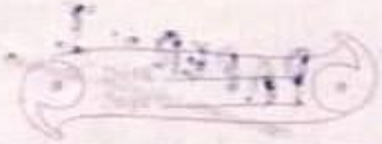

कहते है Oppenheim के शब्दों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि प्रथाओं और परम्पराओं का वह समूह है जो सभ्य राज्यों द्वारा अपने आपसी सम्बन्ध में कानूनी तौर पर बाध्य समझा जाता था वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की भांति बाध्यकारी तौर पर बाध्य समझा जाता है। वर्तमान समय तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून को राष्ट्रीय कानून की भांति बाध्यकारी शक्ति प्राप्त नहीं हुई है

The End